

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।संकल्प :-

विषय : कार्य विभाग एवं सेवा विभागों के समूह के लिये प्रोन्नति समिति का गठन ।

राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक-6147 दिनांक-7.11.03 के द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन तथा उसकी कार्य प्रणाली निरूपित की गई है ।

2. वर्णित संकल्प की कण्डिका-2(ii) के प्रावधानों के आलोक में समूह-‘ख’ के विभागों (यथास्तंभ-1 में अंकित) के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति यथास्तंभ-2 के अनुरूप होगी :-

कार्य विभाग एवं सेवा विभागविभागीय प्रोन्नति समिति

(क) क्रमांक 1 से 5 तक के विभागों के लिये:-

- | | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 1. पथ निर्माण विभाग | 1. विकास आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. भवन निर्माण विभाग | 2. सचिव, पथ निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3. जल संसाधन विभाग | 3. सचिव, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 4. संबंधित विभाग के सचिव जिसके अधीनस्थ सेवा संवर्गों के संबंध में विचार होना है वशर्त वे अलग से इस समिति के सदस्य नहीं हों । | सदस्य |
| 5. ग्रामीण विकास विभाग | 5. संबंधित विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव/ उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी | सदस्य सचिव |
| मात्र ग्रामीण अभियंत्रण संगठन | | |
| | 6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सचिव या समकक्ष पदाधिकारी | सदस्य |

(ख) क्रमांक 6 से 12 तक के विभागों के लिये :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 6. प्राथमिक, माध्यमिक, 1 विकास आयुक्त
व्यस्क विभाग (उच्च शिक्षा
सहित) | | अध्यक्ष |
| 7. खेल-कूद, कला, संस्कृति
एवं युवा कार्य विभाग | 2. सचिव, प्राथमिक माध्यमिक, शिक्षा एवं युवा
कार्य, उच्च शिक्षा सहित । | सदस्य |
| 8. स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग | 3. सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण
विभाग अथवा सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध
विभाग | सदस्य |
| 9. स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध
विभाग | 4. संबंधित विभाग के सचिव, जिसके अधीनस्थ
सेवा/ संवर्गों के संबंध में विचार होना है वशर्त
के अलग से इस समिति के सदस्य नहीं हो । | सदस्य |
| 10. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | 5. संबंधित विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव/ उप
सचिव | सदस्य सचिव |
| 11. कल्याण विभाग | 6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा
मनोनी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के
या समकक्ष पदाधिकारी | सदस्य |
| 12. समाज कल्याण(महिला
एवं बाल विकास) विभाग | | |

3. वर्णित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार के संकल्प संख्या-6147
दिनांक-07.11.03 के अंकित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई कर प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा
कर सकेगी ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रावधान राजकीय गजट में
प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुख्त्यार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

झापांक-7/वि0वि0प0-62/2002का0-6149/ रॉची दिनांक-7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉची को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

आयुक्त एवं सचिव ।

झापांक-7/वि0वि0प0-62/2002का0-6149/ रॉची दिनांक-7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉची/ सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रॉची/ मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

झापांक-7/वि0वि0प0-62/2002का0-6149/ रॉची दिनांक-7 नवम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।